वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2007, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2007 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 114670.82 करोड़ रुपए और 109826.11 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2007 were Rs. 114670.82 crores and Rs. 109826.11 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्राालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

- I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
- I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन		ं के दौरान गी गई	वर्ष के अंत में		कमीशन वा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
	आधकतम राशि	बकाया	पारवधन	विषापन (वर्ष के दौरान			बकाया			લ્યાર
				याचित के						
Name of Ministry	Maximum Amount	Outstanding at the	Additions during the	अलावा) Deletion during the		d during year	Outstanding at the	Com	rantee mission	Other material details
	Guaranteed during the	beginning of the year	year	year (Other			end of the year	or	Fee	
	year	-		than	उन्मोचित	अननुमोचित	-			
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									· ·	रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
कृषि मंत्राालय— MINISTRY OF AGRICULTURE—										
कृषि और सहकारिता विभाग										
Department of Agriculture and Cooperation	1838.38	479.31	1359.07	1141.13			697.25	0.05	0.01	
righteunture and cooperation	(16)	(15)	(1)	(1)			(15)	0.03	0.01	
पशु पालन एवं डेरी विभाग										
Department of Animal Husband	dry									
& Dairying	0.04	0.04	_	0.04	_	_	_	_	_	_
	(1)	(1)								
वस्त्रा मंत्राालय MINISTRY OF TEXTILES	2062 10	2062 10		292.24			1700 05	19.20	15 90	
WIINISTRY OF TEXTILES	2063.19 (8)	2063.19 (8)	_	282.34 (2)	_	_	1780.85 (6)	18.30	15.80	_
	` '	` '		` '			` /			

वित्त मंत्राालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										
Department of Economic Affairs	760.70	760.70					760.70	1.45	1.45	
Department of Economic Affairs	(11)	(11)		_	_		(11)	1.43	1.43	_
	(11)	(11)					(11)			
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वि	तरण मंत्राालय									
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND										
PUBLIC DISTRIBUTION	33100.06	33100.06	_	_	_	_	33100.06	_	_	_
	(2)	(2)					(2)			
उद्योग मंत्राालय —										
MINISTRY OF COMMERCE &	INDUSTRY	_								
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industries	986.40	986.40	_	309.49	_	_	676.91	22.24	0.13	_
	(30)	(30)		(11)			(19)			
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्राालय,										
खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग										
MINISTRY OF AGRO & RURAL	_									
INDUSTRIES, KHADI & VILLAO	GE									
INDUSTRIES COMMISSION	326.27	326.27	_	8.09	_	_	318.18	45.50	_	_
	(1)	(1)					(1)			
रसायन और उर्वरक मंत्राालय—										
MINISTRY OF CHEMICALS										
AND FERTILISERS—										
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग										
Department of Chemicals and										
Petrochemicals	1134.19	1092.22	41.97	170.68	_	_	963.51	42.75	1.07	_
	(10)	(10)		(3)			(7)			

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के	বৃষ্ঠ	िके दौरान	वर्ष के	गारंटी	कमीशन	अन्य
	गारंटीक त	आरंभ में	दौरान	दौरान	मां	ांगी गई	अंत में	अथव	ग फीस	तात्विक
	अधिकतम	बकाया	परिवर्धन	विलोपन		`	बकाया			ब्योरे
	राशि		11 × 1-1	(वर्ष के दौरान						
	CIIAI			याचित के						
N. C.M.	3.6 .	0 1	A 1.15.1	अलावा)	7 1	1.1.	0 !!			0.1
Name of Ministry	Maximum Amount	Outstanding at the	Additions during the	Deletion during the		d during e year	Outstanding at the		rantee mission	Other material details
		beginning of	year	year	tile	year	end of		Fee	details
	during the	the year	your	(Other			the year	01	100	
	year	•		than	उन्मोचित	अननुमोचित	,			
	,			invoked	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई	
				during the		Discharged		Receivable	Received	
				year)		υ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									(ch.	रोड़ रुपयों में)
									,	crore of rupees)
									(211	erore or rupees,
उर्वरक विभाग										
Department of Fertilisers	_	_	_	_	_	_		9.69	_	_
इस्पात मंत्राालय MINISTRY OF STEEL	222.00	206.00	16.00	17.00			205.00	9.52	5.25	
MINISTRIOFSTEEL	222.00 (5)	206.00 (4)	16.00 (1)	(1)	_	_	205.00 (4)	9.32	3.23	_
	(3)	(4)	(1)	(1)			(4)			
जहाजरानी मंत्राालय										
MINISTRY OF SHIPPING	255.46	255.46	_			_	255.46	58.31	8.66	_
WIN ISTRI OF SHILLING	(1)	(1)					(1)	30.31	0.00	
	(1)	(1)					(1)			
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रा	ालय									
MINISTRY OF URBAN DEVEL										
& POVERTY ALLEVIATION	28.00	28.00	_	_	_	_	28.00	_	_	_
WI O VERT I TELLE VITTION	(3)	(3)					(3)			
	(5)	(3)					(5)			

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

corporations and imaneral	mstitutions.									
कृषि मंत्राालय— MINISTRY OF AGRICULTURE कृषि और सहकारिता विभाग	Ε—									
Department of Agriculture and										
Cooperation	488.06	487.78	0.28	63.50	_	_	424.56	1.01	0.58	_
	(15)	(15)		(4)			(11)			
रसायन और उर्वरक मंत्राालय— MINISTRY OF CHEMICALS A FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	ND									
Department of Chemicals and										
Petro Chemicals	131.14	131.14	_	31.14	_	_	100.00	_	_	
	(2)	(2)		(1)			(1)			
विद्युत मंत्राालय										
MINISTRY OF POWER	936.16	936.16	_	150.00	_	_	786.16	1.74	1.74	_
	(27)	(27)		(4)			(23)			
वित्त मंत्राालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										
Department of	10883.05	10803.05	80.00	25.00	_	_	10858.05	_	_	_
Economic Affairs	(54)	(52)	(2)	(1)			(53)			

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के		के दौरान गी गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ग फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other		d during e year	Outstanding at the end of the year	Com	rantee mission Fee	Other material details
	year			than invoked during the	Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	year) 5	6	7	8	9	10	11
उद्योग मंत्राालय — MINISTRY OF INDUSTRY —									`	तेड़ रुपयों में) crore of rupees)
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industries	593.20 (11)	573.20 (10)	20.00 (1)	47.22 (2)	_	_	545.98 (9)	_	_	_
लघु उद्योग विभाग Department of Small Scale										
Industries	50.00	50.00	_	_	_	_	50.00	0.50	0.50	_
	(1)	(1)					(1)			
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक ि	वेतरण मंत्राालय									
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	10074.52 (17)	8679.42 (16)	1395.10 (1)	_	_	_	10074.52 (17)	_	_	_

रेल मंत्राालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	0.14	0.14	_	0.06	_	_	0.08	_	_	_
	(4)	(4)		(1)			(3)			
इस्पात मंत्राालय										
MINISTRY OF STEEL	1404.00	1404.00	_	423.95	_	_	980.05	48.58	48.58	
	(5)	(5)		(1)			(4)			
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रााल	ाय									
MINISTRY OF URBAN DEVEL	OPMENT									
& POVERY ALLEVIATION	494.01	493.71	0.30	22.41	_	_	471.60	0.83	0.83	_
	(17)	(17)		(1)			(16)			
दूरसंचार विभाग										
DEPARTMENT OF										
TELECOMMUNICATIONS	412.00	412.00	_	3.00	_	_	409.00	13.06	_	_
	(4)	(4)					(4)			

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/ वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और निम्नलिखित कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की पूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc: —

नागर विमानन मंत्राालय											
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	l 145.95	91.72	54.23	23.81	_	_	122.14	548.75	0.58	_	
	(7)	(6)	(1)	(2)			(5)				
कोयला मंत्राालय											
MINISTRY OF COAL	2660.82	2660.82	_	862.02	_	_	1798.80	21.76	21.76	_	
	(5)	(5)		(2)			(3)				
विद्युत मंत्राालय											
MINISTRY OF POWER	12777.67	11785.38	992.29	795.86	_	_	11832.51*	133.75	133.75	_	
	(47)	(45)	(2)	(4)			(43)				

^{* 149.30} करोड़ रु. का अंतर विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन होने के कारण है।

^{*} Difference of Rs.149.30 crores due to change in foreign exchange rates.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		के दौरान गी गई	वर्ष के अंत में बकाया		ा कमीशन वा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than		d during year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	arantee mission r Fee	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged	i	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वित्त मंत्राालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग									,	रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
Department of	29756.58	29744.02	12.56	28.48	_	_	29728.10	0.71	0.71	_
Economic Affairs उद्योग मंत्राालय — MINISTRY OF INDUSTRY —	(172)	(171)	(1)	(1)			(171)			
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग										
Department of Small Scale Indu & Agro-Rural Industries	63.11 (3)	58.70 (3)	4.41	2.09	_	_	61.02 (3)	5.59	0.39	_

MINISTRY OF NEW AND										
RENEWABLEENERGY	658.52	617.22	41.30	41.97	_	_	616.55	6.15	6.15	_
	(3)	(3)					(3)			
इस्पात मंत्राालय										
MINISTRY OF STEEL	529.35	529.35	_	54.65	_		509.85*	52.29	52.29	_
	(4)	(4)		(1)			(3)			
खान मंत्राालय										
MINISTRY OF MINES	250.00	250.00	_	87.50	_	_	162.50	_		_
	(3)	(3)					(3)			
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्राालय										
MINISTRY OF URBAN DEVELOR										
& POVERY ALLEVIATION	729.99	729.99	_	100.23	_	_	629.76	5.57	5.57	_
	(2)	(2)					(2)			
(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उ										
(iv) Counter-guarantees to banks is			iks having is	sued letters of	authority to fe	oreign suppl	iers for supplie	s/services mad	le/rendered by	them on credit
basis, in favour of the comp	oanies/corpo	rations:—								
इस्पात मंत्राालय										
MINISTRY OF STEEL	620.36	620.36	_	_	_	_	620.36	33.04	6.20	_
	(9)	(9)					(9)			
रेल मंत्राालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	253.00	253.00	_	5.00		_	248.00	2.53	2.53	_
	(1)	(1)					(1)			
उद्योग मंत्राालय —										
MINISTRY OF INDUSTRY —										
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industries	27.50	_	27.50	16.90	_	_	10.60	_	_	_
	(9)		(9)				(9)			

शून्य / NIL

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राालय

⁽v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—
(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

^{* 35.15} करोड़ रु. का अंतर विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन होने के कारण है।

^{*} Difference of Rs.35.15 crores due to change in foreign exchange rates.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concld.

मंत्राालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीक त अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के	मां	े के दौरान गी गई	वर्ष के अंत में बकाया		कमीशन ज्ञा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than	the उन्मोचित	d during e year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Com	rrantee mission Fee	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									`	रोड़ रुपयों में) crore of rupees)
(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को (vi) Performance guarantees gi			9			s in foreign c	ountries: —			
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रात MINISTRY OF URBAN DEVEL &POVERY ALLEVIATION		_	_	_	_	_	_	1.50	_	_
उद्योग मंत्राालय — MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग	17.00	17.00		17.00				0.17		
Department of Heavy Industrie	es 17.00 (1)	17.00 (1)	_	17.00 (1)	_	_	_	0.17	_	_

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

-- शून्य / NIL --